**केंद्रीय विद्यालय माती अकबरपुर कानपुर देहात**

**कक्षा 1 के प्रवेश के लिए आवश्यक दिशानिर्देश**

**1.** कक्षा एक (सत्र 2024-25) में प्रवेश हेतु दिनांक 22/04/2024 को जारी अनंतिम प्रवेश सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची का प्रदर्शन किया जा रहा है |

प्रवेश प्रक्रिया हेतु केवल वहीं अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनका अनंतिम प्रवेश सूची (Provisionally selected list) में नाम है तथा जांच के उपरांत जिनके दस्तावेज नियमो के अनुरूप सही पाए जाएंगे |

**2**. प्रवेश प्रक्रिया 23.04.2024 को 09.00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होगी।

**3**. प्रवेश के समय अभिभावक समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्व-प्रमाणित छाया प्रति के साथ विद्यालय में उपस्थित हों। प्रवेश का समय **प्रथम पाली हेतु प्रातः 09.00 बजे से अपराह्न 012:00 बजे तक** होगा।द्वितीय पाली हेतु दोपहर **12:00 बजे से 3:०० बजे** के मध्य होगा | प्रवेश की अंतिम तिथि 27.04.2024 होगी, इस तिथि तक प्रवेश हेतु प्रस्तुत न होने पर प्रवेश पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

**4.** प्रमाण पत्रों की जांच के बाद अभिभावक को फीस जमा करने हेतु चालान कक्षा अध्यापक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। फीस यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में चालान प्रस्तुत कर जमा कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने हेतु UBI लिंक**https://epay.unionbankofindia.co.in/kvfee /** का प्रयोग कर सकते हैं।

**5*.*** प्रवेश की अगली सूची **(सीटो के रिक्त रहने कि दशा में)** दिनांक 29.04.2024 को <https://matiakabarpur.kvs.ac.in/>वेबसाइट व विद्यालय मुख्य द्वार के सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी।

**6. प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं प्रमाणित सभी प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी प्रस्तुत करना होगा-**

a)बच्चे का अद्यतन (recent) पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ

b) बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

c) बच्चे का आधार कार्ड

d) अभिभावक का सेवा प्रमाण पत्र, transfer विवरण प्रमाण पत्र, अद्यतन तीन माह की वेतन आहरणी (Pay Slip) व बैंक खाता विवरण, यदि लागू हो

e) ब्लड ग्रुप प्रमाण पत्र

f) आय प्रमाणपत्र यदि लागू हो।

g) जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल) पद पर लागू होना चाहिए।

h) बच्चे के नाम से जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध ना होने पर अभिभावक को 01 महीने के अंदर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनाहोगा। समय से प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना कर पाने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

i) दिव्यांग प्रमाण पत्र (जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत) यदि लागू हो।

j) EWS प्रमाण पत्र यदि लागू हो

k) निवास प्रमाण पत्र (Address proof ) एवं दूरी शपथपत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर।

l) अन्य प्रमाण पत्र अगर प्रवेश समिति को आवश्यकता महसूस होती है।

**7**. प्रवेश उपरांत दस्तावेज संबंधी या अन्य कोई भी सूचना/ प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर प्रवेश प्राचार्य द्वारा किसी भी समय निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई अपील स्वीकार्य न होगी

Admission Secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled at any stage by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained

दिनांक 22.04.2024

प्राचार्य